विप चुनाव नाम जुड़वाने के लिए नौ दिसंबर तक कर सकते हैं ऑनलाइन आवेदन

वोटर बनने को मिलेगा एक और मौका

राज्य ब्यूरो, पटना : बिहार विधान परिषद की आठ सीटों के लिए तैयार ऑनलाइन मतदाता सूची का प्रकाशन शनिवार को कर दिया गया। स्नातक निर्वाचन क्षेत्र के लिए कुल दो लाख 97 हजार 294 वोटर हैं, जबकि शिक्षक क्षेत्र के लिए कुल 32 हजार 873 वोटर सूची में शामिल हैं। राज्य निर्वाचन आयोग ने सूची में शामिल होने से वंचित मतदाताओं को एक मौका और देने का निर्णय लिया है। नौ दिसंबर तक ऑनलाइन आवेदन किया जा सकता है।

मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, बिहार की वेबसाइट के लिंक पर जाकर सूची में शामिल नाम की जांच की जा सकती है। दावा और आपत्ति दर्ज करने की तिथि नौ दिसंबर तक है। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी एचआर श्रीनिवास का कहना है कि सूची में जिन योग्य आवेदकों का नाम नहीं जुड़ पाया है, वे 23 नवंबर से नौ दिसंबर के बीच दावा कर सकते हैं। इसके लिए उन्हें अपने संबंधित निर्वाचन क्षेत्र में स्थित जिले या प्रखंड की निर्वाचन शाखा में जाकर विहित प्रपत्र में आवेदन करना होगा। ऑनलाइन आवेदन भी किया जा सकता है। मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन 30 दिसंबर को कर दिया जाएगा।

देश के किसी भी राज्य के कालेज या विश्वविद्यालय से एक नवंबर 2019 से तीन साल पहले स्नातक उत्तीर्ण या समकक्ष अर्हता वाले स्नातक निर्वाचन क्षेत्र के मतदाता बनने के लिए आवेदन कर सकते हैं। इसी तरह शिक्षक निर्वाचक सूची में शामिल होने के लिए माध्यमिक विद्यालय और उससे ऊपर के संस्थानों में तीन वर्षों से शिक्षक के रूप में कार्यरत होना चाहिए। आवेदक को उसी क्षेत्र का निवासी भी होना चाहिए।

पटना समेत चार क्षेत्रों की शिक्षक-स्नातक मतदाता सूची जारी

राज्य ब्यूरो, पटनाः पटना समेत चार जिलों की शिक्षक व स्नातक मतदाता सूची का प्रकाशन कर दिया गया है। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी बिहार की वेबसाइट पर सूची अपलोड कर दी गयी है। मतदाता चुनाव आयोग के वेबसाइट पर जाकर नौ दिसंबर तक इसपर आपत्ति दर्ज करा सकेंगे या नाम जुड़वा सकेंगे। आज जिन क्षेत्रों की सूची प्रकाशित की गई उसमें अर्हता तिथि एक नवम्बर 2019 के आधार पर पटना, दरभंगा व तिरहुत स्नातक एवं शिक्षक तथा कोशी स्नातक एवं सारण शिक्षक निर्वाचन क्षेत्रों की निर्वाचक सूची है। मतदाता मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी बिहार की वेबसाइट पर जाकर अपने नाम की जांच कर सकते हैं। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी एच आर श्रीनिवास का कहना है कि प्रारुप प्रकाशन में जिन योग्य आवेदकों का नाम नहीं जुड़ पाया है, वे 9 दिसम्बर तक निर्वाचक सूची में अपना नाम जोड़ने के लिए अपना दावा अपने संबंधित निर्वाचन क्षेत्र में स्थित जिले या प्रखंड की निर्वाचन शाखा में जाकर कर सकते है। उन्होंने बताया निर्वाचक सूची में पंजीकरण के लिए स्नातक मतदाता प्रपत्र 18 और शिक्षक मतदाता प्रपत्र 19 का उपयोग कर सकेंगे।